न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्र.– I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3028 सन्–2017

विनोद कुमार तिवारी आयु 26 वर्ष तनय श्री चुन्नू तिवारी
निवासी–ग्राम हरबंशपुर, तहसील–गौरिहार,
जिला–छतरपुर (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. संदीप कुमार तिवारी आयु 32 वर्ष तनय श्री चन्द्रप्रकाश तिवारी
निवासी–मकान नं.–218, रानी दुर्गावती स्कूल के पास, वार्ड नं.–36
चौबे कॉलोनी, छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. कल्लू ब्राम्हण आयु 72 वर्ष तनय श्री मईयादीन ब्राम्हण
निवासी–ग्राम–सरबई, तहसील–गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
द्वारा–क्षेत्रीय कार्यालय, 74–75 गोल बाजार, शहीद स्मारक
गंगोत्री अपार्टमेंट के पास, जबलपुर (म.प्र.)–482002
4. म.प्र. शासन .... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 निगरानी माननीय अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्र.–15/स्व.प्रे.निग./अ–19(4)/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 से दुखी होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है –

1. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से था कि अनावेदक क्र.–01 संदीप तिवारी ने निगरानीकर्ता व अनावेदक क्र.–02 लगायत 04 के विरूद्ध एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 वावत् राजस्व अभिलेख में की गई फर्जी प्रविष्टि निरस्त किये जाने वावत् प्रस्तुत करते हुये अनावेदक क्र.–01 ने अपने आवेदन में अभिवचित किया कि अनावेदक क्र.–03 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 10.10.2014 को ग्राम सरवई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) के लिये पैट्रोल पम्प की आर.ओ. डीलरशिप हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त आर.ओ. डीलरशिप हेतु निगरानीकर्ता व अनावेदक क्र.–01 संदीप तिवारी द्वारा अभ्यार्थिता की गई थी। जिसमें पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने वावत् भूमि का उल्लेख भी किया जाना था।

2. यह कि अनावेदक क्र.–01 संदीप तिवारी ने आगे अपने आवेदन पत्र में यह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3028 विनोद विरूद्ध संदीप व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/स्व.प्रे.निग./अ-19(4)/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 25-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 28/2/2019 सदस्य	